न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–56/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मदनलाल आत्मज लेहरूलाल निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. बद्री आत्मज बालु जी माता उगमी पत्नि कालु जी जाट निवासी जुगदा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द
2. माधु आत्मज बालु माता उगमी पत्नि कालु जी जाट निवासी जुगदा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द
3. देवीलाल आत्मज बालु जी माता उगमी पत्नि कालु जाट निवासी जुगदा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द
4. शंकरी पुत्री बालु जी माता उगमी पत्नि कालु जाट निवासी जुगदा हाल पत्नि कालु जी जाट निवासी सरदार गढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द
5. नेजी पुत्री कालु जी पत्नि किशनलाल जी जाट निवासी हाल सालेरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. पारसमल आत्मज श्रीराम जाट जी श्रीराम जी जाट निवासी खानिणया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट.

अधिवक्ता प्रार्थी

1. महेन्द्र सिंह चुण्डावत –

निर्णय **दिनांक 23.06.2018**

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बागोलिया मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम खानणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की माता उगमी व विपक्षी संख्या 05 के संयुक्त खातेदारी की आराजी संख्या 277 रकबा 0.25 है0, 278 रकबा 0.25 है0, 480 रकबा 0.15 है0, 481 रकबा 1.09 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.74 है0 भूमि नवीन राजस्व खाता संख्या 103 पर स्थित है। प्रमाण में छाया प्रति जमांबदी संवत 2071 से 2074 तक साथ प्रस्तुत है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की माता उगमी व विपक्षी संख्या 05 ने संयुक्त रूप से अपने हिस्से के विभाजन बाबत एक वाद पत्र न्यायालय में पेश कर रखा है। जो जैर कार्यवाही है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 01 में वर्णित उक्त आराजियात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 का संयुक्त कब्जा एवं आधिपत्य होकर संयुक्त रूप से भुगत भोग में चली आ रही है। उक्त भूमियां अभिभक्त होकर संयुक्त रूप से चली आ रही है जिस बाबत विभाजन का वाद अभी तक निर्णित नही हुआ है, जो जैर कार्यवाही है। विपक्षी संख्या 06 ने दिनांक 24.05.2018 को इन सयुक्त भूमि में से प्रतिवादी विपक्षी संख्या 05 का 1/2 हिस्सा बिल एवज 2,07,000/– में क्रय कर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया जब कि भूमि पर अलग से कोई कब्जा विपक्षी संख्या 05 का नही रहा है। विपक्षी संख्या 05 अलग अलग काश्त नही करती है। उक्त भूमियां इन्तकाल की अपील के जरिये कालु जी से अपने हिस्से में ली है उसका व उगमी का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। खातेदारी में सयुक्त हिस्स अवश्य दर्ज है और उक्त भूमि अविभक्त होते हुए भी विपक्षी संख्या 05 ने विपक्षी संख्या 06 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया है। जिससे

विपक्षी सख्या 06 जबरन संयुक्त कब्जे की आराजियात में प्रवेश कर प्रार्थी के हिस्से मे आने वाली उपजाउ जमीन को जबरन धनबल व भुजबल के आधार प्रवेश कर कब्जा करना चाहता है जब कि विभाजन का उक्त केता को जिसने बिकाव किया है उसका विभाजन का वाद लम्बित है इसलिए विभाजन कराये बिना अविभक्त भूमि में दखलदांजी नही करे व प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के खातेदारी की आराजी में किसी भी प्रकार से काश्त मे नुकसान नही पहुचाते इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की माता उगमी ने अपने हिस्से व विपक्षी संख्या 05 नोजी ने अपने हिस्से के विभाजन बाबत इसी आराजियात का वाद पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर रखा है। जिसके प्रकरण संख्या 76/2013 रे0 वाद होकर केम्प पालरा में दिनांक 26.05.2018 की पेशी नियत थी। जो जैर कार्यवाही है। अजनबी केता विपक्षी संख्या 6 पारसमल ने दिनांक 24.05.2018 को उक्त आराजियात में से विपक्षी संख्या 05 का हिस्सा क्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है जब कि वाद वर्णित कृषि आराजियात आज भी प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की माता उगमी व विपक्षी संख्या 05 नोती के संयुक्त रूप से चली आ रही होकर अविभक्त है इसलिए बिना विधिवत विभाजन करा कब्जा प्राप्त नही किया जा सकता है। बिना विभाजन कराये अजनबी केता कृषि भूमि में प्रवेश न ही कर सकता है व उसका उपयोग उपभोग कर फसल प्राप्त करने का अधिकारी नही होता है फिर भी विपक्षी सख्या 6 जबरन ताकत के बल पर विधि विरूद्ध तरीके से वाद वर्णित आराजियात में प्रवेश कर प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है इसलिए विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 01.06.2018 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है विपक्षीगण संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिश टेलर उपस्थित है। विपक्षीगण की ओर से जवाब व काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को दिलाइ जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी जवाब नही देना चाहता, जिससे जवाब बंद किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय पेश किये गये–

–1973 RRD 188

–1975 RRD 221

जहां पर सहखातेदार अपने हिस्से को अजनबी केता को ट्रांसफर कर देता है तो शेष सहखातेदार अजनबी केता को आराजियात के किसी विशेष हिससे पर कब्जा करने से रोकने के लिऐ अजनबी केता के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस के दोरान अवगत कराया कि विपक्षी संख्या 5 ने उसका संपूर्ण हिस्सा विपक्षी संख्या 6 को जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 24/05/2018 को विक्रय कर कब्जा विपक्षी संख्या 6 जहां काबिज थी वहां सिपुर्द किया एवं सहखातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही जा सकती है। समर्थन मे न्यायिक निर्णय मलिकायत कौर Anu V/S मलिकायत कौर Ors पेश किया के अनुसार रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती

प्रस्तुत बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओं का विवेचन किया गया–

1. प्रथम दृष्टया मामला – प्रार्थी विवादीत आराजियात का रिकार्डड खातेदार होकर वर्षो से काबिज है अतः प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
2. सुविधा का संतुलन – प्रार्थी रिकार्डड खातेदार होकर विवादीत भूमि पर कब्जा काश्त के रहा है अतः सर्वप्रथम उसकी सुविधा का ध्यान रखा जाना आवश्यक है अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे साबित।
3. अपूरणीय क्षति – प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है एवं यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो अजनबी केता सहखातेदार द्वारा जो उसके कब्जे काश्त मे नुकसान किया जाएगा उसकी

भरपाई नगद रूप में किसी भी प्रकार से नही की जा सकेगी अतः उक्त बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है।

उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के साथ – साथ प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश किया न्यायिक निर्णय भी इस प्रकरण में पूर्णतः चस्पा होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव

निर्णय

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 रा0 टि0 एक्ट स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 06 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी सख्या 277, 278, 480, 481 मे प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त मे दखलअंदाजी नही करे। प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपभोग करने देवें । उभयपक्ष उक्त आराजियात को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित न करे। अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद तक जारी की जाती है। उक्त पत्रावली मूल पत्रावली संख्या 44/2018 के साथ संलग्न की जाऐ। बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख **23.06.2018** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा